समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर (91)

विविध प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर विविध-9085-II-16

श्री सुशील सिंह अधि० ... ने द्वारा आज दि. 7-6-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुन्दरलाल गोड पिता रतीराम गौड निवासी 29 ग्राम टीगन बीच वस्ती घाटपिपरिया थाना बरगी तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ..अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. आशीष मिश्रा पिता रामनरायण मिश्रा निवासी मकान नम्बर 2741 पहाडी क्षेत्र देवताल पुरवा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ....उत्तरवादीगण

आवेदन पत्र वास्ते अपील क 1418/एक/16 मे पारित आदेश 19.5.16 में आशिक संशोधन करने वावत धारा 32 म.प्र भू राज्य संहिता के तहत ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :—

1. यहकि, अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जवलपुर के प्रकरण क 19/अ—21/2015—16 मे पारित आदेश दिनांक 25.4.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिस अपील को श्रीमान विद्धवान न्यायाधीश द्वारा अपील आदेश दिनांक 19.5.16 से अपीलार्थी के पक्ष मे स्वीकार की जाकर भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

2. यहकि, उक्त अपील आदेश दिनांक 19.5.16 के कुछ पद मे टांइपिग की गलती हो गई है जिसे सुधार करने हेतु यह आवेदन निम्न प्रकार है—
   1. आदेश के पैरा 4 में कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क16 /अ—21/13—14अंकित हो गया है जिसे सुधार कर सही कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 19 /अ—21/15—16 पढा जावे ।
   2. आदेश के पैरा 5 के अंत में ग्राम टीगन व घाट पिपिरिया 7.10 हे. अंकित हो गया है जिसे सुधार कर ग्राम टीगन में 6.08 हे. पढा जावें ।

3. यहकि, माननीय न्यायालय से आवेदक का निवेदन है कि उक्त संशोधन मान्य करने की कृपा करें।

4. यहकि, अन्य विन्दु सुनवाई के समय उठाये जावेगे।

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

विविध प्रकरण क. 9085/एक/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
7-6-16	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्धारा उपस्थित होकर टंकणी–त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्र. क. 1418/एक/2016 जवलपुर में पारित आदेश दिनांक 19.5.16 मे पैरा– 4 मे कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 16/अ–21/13–14 अंकित हो गया हैं एंव इसी प्रकार पैरा –5 के अंत में ग्राम टीगन व घाट पिपरिया 7.10 हे. अकित हो गया हैं । अतः आवेदन पत्र पेश कर सुधार करने का निवेदन किया गया । अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन न्याय संगत होने से स्वीकार किया जाता है तथा पैरा –4 मे कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 16/अ–21/13–14 के स्थान पर कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 19/अ–21/15–16 पढा जावे एंव पैरा –5 में ग्राम टीगन व घाट पिपरिया 7.10 हे. अंकित हो गया है उसे ग्राम टीगन 6.08 हे. पढा जावे । सदस्य	